प्रमुख सचिव, पंचायती राज एवं अध्यक्ष पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट), उ0प्र0 की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 23.05.2016 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 23.05.2016 को अपरान्ह् 05:00 बजे पूर्व निर्धारित एवं संसूचित एजेण्डे के अनुसार पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक श्री चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव, पंचायती राज एवं अध्यक्ष पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) उ0प्र0 की अध्यक्षता में पंचायती राज निदेशालय के मीटिंग हॉल में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत रहीः–

क्र. सं.	नाम	पद व पता	'प्रिट' के पदाधिकारी
1	श्री चंचल कुमार तिवारी, आई0ए0एस0	प्रमुख सचिव / पंचायती राज एवं अध्यक्ष 'प्रिट'	अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति
2	श्री अनिल कुमार दमेले, आई0ए0एस0	निदेशक, पंचायतीराज / 'प्रिट'	उपाध्यक्ष
3	श्री राजेन्द्र सिंह	अपर निदेशक, पंचायती राज	सदस्य–सचिव
4	श्री भोला सिंह यादव	निदेशक, पंचायती राज (लेखा)	सदस्य
5	श्री महेन्द्र कुमार	विशेष सचिव, पंचायती राज	सदस्य
6	डा0 राज किशोर	नामित द्वारा महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बी0के0टी0, लखनऊ	सदस्य
7	श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव	नामित द्वारा प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
8	श्री केशव सिंह	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय	सदस्य
9	श्री गिरीश चन्द्र रजक	उप निदेशक	संयुक्त सचिव
10	श्री अरविन्द कुमार राय	उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ	सदस्य

अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति की अनुमति से निदेशक, पंचायतीराज एवं 'प्रिट' / उपाध्यक्ष 'प्रिट' द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं क्रमशः एजेण्डावार चर्चा की गयी। माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा की कार्यवृत्त निम्नवत हैः–

एजेण्डा	माननीय कार्यकारिणी समिति का निर्णय
एजेण्डा बिन्दु–1 **माननीय सदस्यों का स्वागत** पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) के प्रबन्ध तंत्र की प्रथम कार्यकारिणी समिति की बैठक में मा0 सदस्यों का स्वागत। ''प्रिट'' की कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।	मा0 कार्यकारिणी समिति अवगत हुई।

(219)

एजेण्डा बिन्दु–2

'प्रिट' के पंजीकरण की स्थिति

नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रतिनिधियों तथा पंचायती राज विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन करने के उद्देश्य से पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) की स्थापना की गयी है। इस हेतु पंचायती राज, अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–781/33–3–2016– 158/ 2015 दिनांक 18 मार्च, 2016 (परिशिष्ट–2) निर्गत किया चुका है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में उ0प्र0 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत ''प्रिट'' का पंजीकरण करा लिया गया है, जिसका पंजीकरण सं0–240 दिनांक 05.05.2016 है, जो 05 वर्षों के लिए विधि मान्य है। इस अवधि के बाद इसका नवीनीकरण कराना होगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र, स्मृति–पत्र व नियमावली परिशिष्ट–3 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

माननीय समिति से ''प्रिट'' की स्थापना का अनुमोदन निवेदित है।

(i) मा0 समिति अवगत हुई तथा मा0 समिति द्वारा 'प्रिट' की स्थापना का अनुमोदन किया गया।

(ii) मा0 समिति द्वारा 'प्रिट' के नियमावली के नियम 15 ''प्रबन्ध मण्डल की बैठक– प्रबन्ध मण्डल की वार्षिक आम बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में होगी, जिसकी सूचना 15 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को प्रेषित करनी होगी। बैठक का एजेण्डा नोट व कार्यवृत्त सचिव द्वारा ही बनवाया जाएगा। बैठक की तारीख सचिव द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर तय की जाएगी और 15 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को इसकी लिखित सूचना सचिव द्वारा दे दी जाएगी। सचिव प्रत्येक बैठक के एजेण्डा व कार्यवृत्त अध्यक्ष महोदय की सलाह पर बनाएगा'', के संदर्भ में निर्देशित किया कि अपरिहार्य परिस्थितियों में बैठक आहूत करने की आवश्यकता पड़ सकती है अतः न्यूनतम तीन दिन में बैठक आहूत करने हेतु सहमति प्रदान करते हुए तद्नुसार नियमावली में संशोधन की कार्यवाही की जाए।

एजेण्डा बिन्दु–3

'प्रिट' के खाते का संचालन

''प्रिट'' की नियमावली के नियम 19 में उल्लिखित है कि 'प्रिट' के **''खाते का संचालन–किसी अधिसूचित (शेड्यूल्ड) बैंक की नजदीकी शाखा में 'प्रिट' का अलग से खाता खोला जायेगा, जो 'प्रिट' के उपाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा''।** उक्त के अनुपालन में 'प्रिट' का खाता केनरा बैंक, अलीगंज शाखा, लखनऊ में खोल लिया गया है, जिसका खाता सं0–4962132000008 है। खाते का संचालन उपाध्यक्ष व सदस्य–सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

माननीय समिति उक्त से अवगत होते हुए अनुमोदन करना चाहें।

माननीय समिति अवगत हुई। प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

218

एजेण्डा बिन्दु–4

बी0आर0जी0एफ0 की धनराशि का 'प्रिट' के खाते में हस्तान्तरण

परियोजना प्रबन्धक इकाई, बी0आर0जी0एफ0 के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, गोमतीनगर शाखा, लखनऊ में संचालित खाता सं0–521302010059800 में पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 3.40 करोड़ की धनराशि जमा है, क्योंकि पूर्व में "प्रिट" का अलग से कोई खाता नहीं था। इसलिए तभी से यह धनराशि रू0 3.40 करोड़ बी0आर0जी0एफ0 के उक्त खाते में ही जमा है। वर्तमान में "प्रिट" की स्थापना हो चुकी है, इसका खाता भी केनरा बैंक, अलीगंज शाखा, लखनऊ में खोल दिया गया है। अतः उक्त धनराशि रू0 3.40 करोड़ मय ब्याज के "प्रिट" के केनरा बैंक, अलीगंज शाखा, लखनऊ में संचालित खाता सं0–4962132000008 में जमा करने सम्बन्धी पत्र दिनांक 12 मई, 2016 के माध्यम से परियोजना निदेशक, बी0आर0जी0एफ0 को लिखा गया है।

अतः माननीय समिति से रू0 3.40 करोड़ की धनराशि (मय ब्याज के) बी0आर0जी0एफ0 के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, गोमतीनगर शाखा, लखनऊ में संचालित खाता सं0–521302010059800 से "प्रिट" के केनरा बैंक, अलीगंज शाखा, लखनऊ में संचालित खाता सं0–4962132000008 में हस्तान्तरित करने का अनुमोदन निवेदित है।

बी0आर0जी0एफ0 के खाते में 'प्रिट' की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 3.40 करोड़ की धनराशि के संबंध में मा0 सदस्य श्री भोला सिंह यादव, निदेशक पंचायती राज, लेखा एवं सदस्य 'प्रिट' कार्यकारिणी समिति द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त धनराशि के संबंध में संदर्भित पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करा दी जाए, ताकि इस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जा सके। इस संबंध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा मा0 सदस्यों की सहमति पर उक्त पत्र उपलब्ध कराने हेतु सचिव 'प्रिट' को निर्देशित किया।

एजेण्डा बिन्दु–5

नवनिर्वाचित प्रधानों का एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण

प्रथम चरण में प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक कार्ययोजना बनाकर उ0प्र0 शासन को अनुमोदनार्थ भेजी गयी थी। तत्क्रम में शासन के पत्र सं0–32/33–3– 2016–306/2014 दिनांक 7 जनवरी 2016 के माध्यम से उक्त एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण हेतु रू0 4,59,56,820.00 (चार करोड़ उनसठ लाख छप्पन हजार आठ सौ बीस रूपये मात्र) की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया था। शासन के अनुमोदन के क्रम में एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण हेतु पंचायत प्रशिक्षण पुस्तिका भी तैयार कर गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर शेष सभी जनपदों में आपूर्ति कर दी गयी थी और साथ में निम्नलिखित प्रशिक्षण सामग्री भी आपूर्ति की गयी–

- माननीय मुख्यमंत्री जी का ग्राम प्रधानों के नाम बधाई संदेश
- पंचायत प्रशिक्षण पुस्तिका
- बैग
- राइटिंग पैड
- पेन

माननीय समिति अवगत हुई तथा विभिन्न जनपदों से उपभोग प्रमाण पत्र मंगवाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त प्रशिक्षण के आयोजन हेतु जनपदों को भेजी गयी धनराशि का जनपदवार विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में पंचायत चुनाव दिनांक 31. 05.2016 तक सम्पन्न हो जायेंगे। अतः जनपद के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार आयोजित किये गये प्रशिक्षणों की तिथियों की सूची परिशिष्ट 5 पर संलग्न है।

मा0 समिति उक्त से अवगत होते हुए अनुमोदन देना चाहें।

एजेण्डा बिन्दु–5.1

नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों का एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) का एक दिवसीय प्रशिक्षण, पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट), लखनऊ के परिसर में कराया जाना प्रस्तावित है।

मा0 समिति उक्त से अवगत होते हुए अनुमोदन देना चाहें।

माननीय समिति अवगत हुई और मा0 अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि इस हेतु विस्तृत प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें। प्रस्ताव में विषयों, संदर्भ व्यक्तियों, तिथियों, अनुमोदित व्यय, आय के साधन आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तदोपरान्त अगली बैठक में समिति के समक्ष प्रस्ताव रखे।

एजेण्डा बिन्दु–5.2

नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों का एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) का भी एक दिवसीय प्रशिक्षण, पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट), लखनऊ के परिसर में तीन चरणों में कराया जाना प्रस्तावित है। **प्रथम चरण** में आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, झांसी व सहारनपुर मण्डलों के जनपदों के अन्तर्गत आने वाली क्षेत्र पंचायतों के सभी ब्लाक प्रमुखों का एक दिवसीय प्रशिक्षण एक साथ, **द्वितीय चरण** में चित्रकूट, मिर्जापुर, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, व आजमगढ़ मण्डलों के जनपदों के अन्तर्गत आने वाली क्षेत्र पंचायतों के ब्लाक प्रमुखों का एक दिवसीय प्रशिक्षण एक साथ तथा **तृतीय चरण** में गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ, फैजाबाद व देवीपाटन के मण्डलों के जनपदों में आने वाली सभी क्षेत्र पंचायतों के ब्लाक प्रमुखों का एक दिवसीय प्रशिक्षण निदेशालय परिसर में कराया जाना प्रस्तावित है।

मा0 समिति उक्त से अवगत होते हुए अनुमोदन देना चाहें।

माननीय समिति ने बिन्दु संख्या–5.1 की भांति इस पर निर्देशित किया कि विस्तृत प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु प्रिट की अगली बैठक में समिति के समक्ष रखें।

216

एजेण्डा बिन्दु–6

नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का चार दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण

पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2015 के सम्पन्न होने के पश्चात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को अधिनियम व नियमों के प्राविधानों की विस्तृत जानकारी देने के साथ–साथ शासन द्वारा संचालित महत्वपूर्ण विकास कार्यकमों के सम्बन्ध में संचेतित (Sensitized) करने के उद्‌देश्य से 04 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

निदेशालय स्तर पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के 04 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण की कार्ययोजना भी तैयार की जा चुकी है। यह प्रशिक्षण दो भागों में होगा। प्रथम भाग में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा दूसरे भाग में ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण। इस सम्पूर्ण प्रशिक्षण पर कुल अनुमानित व्यय रू0 19.02 करोड़ आंकलित किया गया है।

मा0 समिति सहमति की दशा में उक्त का अनुमोदन देना चाहें।

मा0 समिति अवगत हुई। निदेशक, पंचायती राज से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

एजेण्डा बिन्दु–7.1

हॉस्टल/वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस के दरों का निर्धारण

पंचायती राज इन्स्टीट्‌यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट), लखनऊ के परिसर में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यकम, सेमिनार, वर्कशॉप, मीटिंग्स इत्यादि के आयोजन हेतु दीन दयाल उपाध्याय राज्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ की दरों (परिशष्ट–6) के आधार पर "प्रिट" की निम्नलिखित दरें प्रस्तावित हैं:–

आवासीय व्यवस्था हेतु निर्धारित दरें–

क. सं.	कक्ष	सरकारी कार्यक्रमों के लिए दरें रूपये में		निजी कार्यक्रमों के लिए दरें रूपये में	
		डबल	सिंगल	डबल	सिंगल
1	हॉस्टल	800	600	1000	800
2	वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस	1000	850	1200	1000

मा0 समिति सहमति की दशा में उक्त का अनुमोदन देना चाहें।

प्रस्तावित दरों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही डॉरमेट्री के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि सरकारी कार्यक्रमों के लिए रू0 200/– प्रति व्यक्ति प्रति दिवस एवं निजी कार्यक्रमों के लिए रू0 300/– प्रति व्यक्ति प्रति दिवस होंगी।

एजेण्डा बिन्दु–7.2

हॉस्टल/वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस में भोजन की दरें

हॉस्टल/वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस में रूकने वाले अध्यासियों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन आदि पर होने वाला व्यय निम्नवत प्रस्तावित है–

1. बेड टी रू0 7.00 प्रति चाय
2. ब्रेकफास्ट रू0 65.00 प्रति प्रतिभागी
3. लंच (शाकाहारी) रू0 170.00 प्रति प्रतिभागी
4. डिनर (शाकाहारी) रू0 150.00 प्रति प्रतिभागी
5. चाय बिस्किट रू0 15.00 प्रति प्रतिभागी

मा0 समिति सहमति की दशा में उक्त का अनुमोदन देना चाहें।

माननीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–7.3

'प्रिट' के ट्रेनिंग हॉल एवं ऑडिटोरियम की दरें

पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) के ट्रेनिंग हॉल एवं ऑडिटोरियम की निर्धारित दरें–

क. सं.	कक्ष	सरकारी कार्यक्रमों के लिए दरें रूपये में		निजी कार्यक्रमों के लिए दरें रूपये में	
		हाफ डे	फुल डे	हाफ डे	फुल डे
1	ट्रेनिंग हॉल	2000	2500	2500	3000
2	ऑडिटोरियम	25000	40000	50000	50000

नोट– उक्त के अतिरिक्त रू0 10000.00 ''सिक्योरिटी मनी'' के रूप में सरकारी और रू0 20000.00 ''सिक्योरिटी मनी'' (Refundable) के रूप में निजी/गैरसरकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व ही जमा करनी होगी। यदि सरकारी संस्थायें अपने कार्यक्रम 10.00 बजे रात्रि के बाद तक आयोजित करती हैं, तो उन्हें रू0 5000.00 प्रति घण्टे की दर से ऑडिटोरियम का किराया देना होगा।

मा0 समिति सहमति की दशा में उक्त का अनुमोदन देना चाहें।

(i) मा0 समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निजी कार्यक्रमों के लिए ट्रेनिंग हॉल का किराया रू0 5000/– प्रतिदिन की दर से लिया जाना चाहिए तथा शेष प्रस्तावित दरों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ii) मा0 समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यक्रम कार्यालय समय में ही चलाया जाय। 'प्रिट' के परिसर में सायंकालीन कार्यक्रम प्रतिबन्धित होंगे।

214

एजेण्डा बिन्दु–7.4

संदर्भ व्यक्ति की मानदेय की दरें

पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में संदर्भ सेवायें प्रदान करने के लिए विषय विशेषज्ञों को संदर्भ व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया जायेगा। इस हेतु इन्हें मानदेय दिया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय निम्नानुसार दिया जाता है–

(क) सामान्य संदर्भ व्यक्ति हेतु–

(i) राज्य स्तर के कार्यक्रमों के लिए रू0 700/– प्रति सत्र

(ii) जिले स्तर के कार्यक्रमों के लिए रू0 700/– प्रति सत्र

(iii) ब्लाक स्तर के कार्यक्रमों के लिए रू0 500/– प्रति सत्र

(iv) ग्राम स्तर के कार्यक्रमों के लिए रू0 500/– प्रति सत्र

(ख) विशिष्ट संदर्भ व्यक्तियों हेतु–

(i) राज्य स्तर के कार्यक्रमों के लिए रू0 2500/– प्रति सत्र

(ii) जिला स्तर के कार्यक्रमों के लिए रू0 2500/– प्रति सत्र

मा0 समिति सहमति की दशा में उक्त दरों का अनुमोदन देना चाहें।

संदर्भ व्यक्ति की यथा प्रस्तावित दरों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त के अतिरिक्त एस0आई0आर0डी0 की दरों पर यात्रा भत्ता की अनुमन्यता भी प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु–8

पंचायती राज विभाग की मासिक पत्रिका का प्रकाशन

उ0प्र0 पंचायती राज विभाग ने सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के उन्नयन तथा पंचायती राज प्रतिनिधियों व अधिकारियों में अनुपूरक क्षमता विकास के लिए एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। यह मासिक पत्रिका लगभग 30 पृष्ठों की होगी। पत्रिका का नाम निम्नवत् अथवा समिति सुझाव देना चाहें।

1. पंचायत पथ
2. पंचायत प्रकाश
3. पंचायत शक्ति
4. पंचायत दर्शन
5. पंचायत मंजूषा
6. पंचायत परिक्रमा
7. पंचायत पाथेय
8. पंचायत वीथी

मा0 समिति उक्त से अवगत होते हुए अनुमोदन देना चाहें।

मा0 समिति ने अगली बैठक में रखने को निर्देश दिये।